

410 एम/एस मीरा कंप्यूटर्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता)

कार्यवाही मुकदमे की निरंतरता है और सीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता। विभाजन के लिए मुकदमा लंबित रहने और प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद, अंतिम डिक्री कार्यवाही तैयार करने का कर्तव्य न्यायालय पर है जब तक कि कानून के अनुसार अंतिम डिक्री तैयार नहीं हो जाती। यह इस प्रकार है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है, कि विभाजन के मुकदमे में अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन परिसीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा शासित नहीं होता है।

(14) उपरोक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री के मामले में, अंतिम डिक्री का निकलना उक्त कार्यवाही की निरंतरता है। इसलिए, यह कहना अनुचित है कि परिसीमन की अवधि लागू होगी। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को सही ढंग से खारिज कर दिया।

(15) इन कारणों से, पुनरीक्षण याचिका बिना योग्यता के होने के कारण विफल होनी चाहिए और इसे खारिज कर दिया जाता है।

जे.एस.टी

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एनके अग्रवाल के समक्ष
एम/एस मीरा कंप्यूटर्स.-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य।-प्रतिवादी
C.W.P. No. 1579 of 1998
17 फ़रवरी 1999

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973-एस। 40—केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956—एस. 9(2)—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद . 226—संयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद ने अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को संयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त (अपील), रोहतक-जेईटीसी (फरीदाबाद) को स्थानांतरित करने के सरकारी आदेशों की जानकारी मिलने के बाद अपील पर निर्णय लिया, जिससे अतिरिक्त मांग रुपये से कम हो गई। 9,96,850/- रु. से 19,4761- ऐसे आदेश की वैधता - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आदेश को पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण रद्द कर दिया - याचिका खारिज की जा सकती है - उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आदेश को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी।

निर्धारित किया गया कि इस शक्ति को लागू करने में पुनरीक्षण प्राधिकरण उचित था। जाहिर है, आयुक्त ने किसी उद्देश्य से क्षेत्राधिकार हस्तांतरित किया था।

यदि आयुक्त के आदेश के बावजूद, कोई अपीलीय प्राधिकारी किसी मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा था, तो कानूनी रूप से यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के लिए श्री राजेश बिंदल और सुश्री मीतू वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरपी साहनी और श्री आईके मेहता, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से श्री प्रमोद गोयल, डीएजी हरियाणा।

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) कर निर्धारण प्राधिकारी-सह-आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुड़गांव ने 26 मार्च, 1993 को एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए टर्नओवर रु.2,10,00,000. निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त मांग पैदा हुई। याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे संयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद ने अनुमति दे दी। 22 सितंबर, 1993 के आदेश द्वारा रुपये 9,96,850 की अतिरिक्त मांग की गई। घटाकर रुपये 19,476

कर दिया गया, पुनरीक्षण प्राधिकरण अर्थात् अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ-साथ हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। यह पाया गया कि 22 सितंबर, 1993 का आदेश पूरी तरह से सही था। क्षेत्राधिकार के बिना, क्योंकि जिला गुड़गांव को फरीदाबाद के बजाय रोहतक में अपीलीय प्राधिकरण के प्रभार में रखा गया था। इस आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने अपील दायर की। पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश की ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, निर्धारिती ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है। पुनरीक्षण प्राधिकारी और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां क्रमशः अनुलग्नक पी-2 और पी-4 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि इन आदेशों को रद्द कर दिया जाए।'

(2) उत्तरदाताओं ने एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल किया है। यह कहा गया है कि, -आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9 सितंबर, 1993 के तहत, जिला गुड़गांव के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलीय प्राधिकरण, रोहतक को प्रदान किया गया था। नतीजतन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 22 सितंबर, 1993 को पारित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था।

(3) पक्षों की सलाह सुनी जा चुकी है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री साहनी ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यह तर्क दिया गया है कि 9 सितंबर, 1993 के आदेश की सूचना नहीं दी गई थी

अपीलीय प्राधिकारी को और यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के था। इसके अलावा, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दो तथ्यों पर विचार किया था। 9 सितंबर, 1993 के आदेश का मुद्दा और यह भी कि केवल स्थगन आवेदन 22 सितंबर, 1993 को सुनवाई के लिए तय किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में स्थगन आदेश 10 जुलाई, 1993 को पारित किया गया है और इस प्रकार पुनरीक्षण प्राधिकरण ने तथ्यों की गलत धारणा पर आगे बढ़े। अंत में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रिब्यूनल इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने में भी विफल रहा। उन्होंने कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया है जिनका संदर्भ उचित स्तर पर दिया जाएगा।

(5) दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री गोयल ने तर्क दिया कि 9 सितंबर, 1993 का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था। इसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार स्थानांतरित हो गया था। मामले की सुनवाई के समय राज्य प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकार को यह तथ्यात्मक स्थिति बतायी गयी थी। इसके बावजूद वह आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े थे। इस स्थिति में, अपने स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार को लागू करने में पुनरीक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई बिल्कुल कानूनी और वैध थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल ने पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की सही पुष्टि की थी।

(6) संबंधित तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, तथ्यात्मक स्थिति पर संक्षेप में ध्यान देने की आवश्यकता है।

(7) यह स्वीकृत स्थिति है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने 26 मार्च, 1993 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक अतिरिक्त मांग बनाई थी। इस आदेश के खिलाफ अपील 12 जून, 1993 को दायर की गई थी। यह अपील तब लंबित थी जब 9 सितंबर, 1993 को उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के हस्तांतरण/परिवर्तन के संबंध में आदेश जारी किए गए थे। हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 के नियम 3 के तहत शक्ति, आयुक्त ने पहले के आदेश में संशोधन किया था और जिला गुड़गांव के संबंध में अधिकार क्षेत्र को फरीदाबाद के प्राधिकरण के बजाय रोहतक में संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) को आवंटित किया था। आयुक्त द्वारा पारित आदेश की एक प्रति लिखित विवरण के साथ अनुलग्नक R-1 के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि लिखित बयान के पैराग्राफ 7 में यह विशेष रूप से कहा गया है कि "संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, श्री एस.आर. यादव को गुड़गांव जिले के अधिकार क्षेत्र के बारे में 22 सितंबर, 1993 को उपस्थित राज्य प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया था और यह खुलासा किया था कि संयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद के पास 9 सितंबर, 1993 के बाद कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और गुड़गांव जिले के अपील मामले थे।

संयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त (A) रोहतक को स्थानांतरित कर दिया गया, - वीडियो द्वारा 9 सितंबर 1993 का आदेश, इस दावे का खंडन करने के लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन का तथ्य अपील की सुनवाई के समय अपीलीय प्राधिकारी को सूचित कर दिया गया था। इसके बावजूद, यह निर्धारिती के पक्ष में एक आदेश पारित करने और उसकी देनदारी को रुपये 9,96,850 से रु. 19,476 कम करने के लिए आगे बढ़ा था। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश (एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक P-5 पर है) को पढ़ने से पता चलता है कि यह 22 सितंबर,

1993 को सुनाया गया प्रतीत होता है। फिर भी, प्रति 28 अक्टूबर 1993 को जारी की गई थी। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश पर आशुलिपिक द्वारा दिया गया क्रमांक है, न कि कार्यालय द्वारा। इस तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए।.....

(8) यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 9 सितंबर, 1993 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय ने 15 सितंबर, 1993 को तत्काल अपीलीय प्राधिकरण सहित विभिन्न अधिकारियों को प्रतियां भेज दी थीं। आम तौर पर कुछ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। आम तौर पर, पत्रों को चंडीगढ़ से फ़रीदाबाद आदि तक अपने गंतव्य तक पहुंचने में एक सप्ताह नहीं लगता है। किसी भी घटना में, लिखित बयान के पैराग्राफ 7 में एक स्पष्ट अनुमान लगाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इसका खंडन भी नहीं किया गया है। इस स्थिति में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी को अपील पर सुनवाई या निर्णय लेने से पहले 9 सितंबर, 1993 के आदेश से अवगत कराया गया था। फिर भी बात आगे बढ़ी. क्यों ? कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है.

(9) इस तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता पर विचार करना होगा। अधिनियम की धारा 40 सक्षम प्राधिकारी को किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर रिकार्ड मंगाने का अधिकार देती है। अधिकारी किसी भी कार्यवाही या उसमें दिए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसा कर सकता है।

अधिकार विस्तृत है. इसे तब लागू किया जा सकता है जब प्राधिकारी को किसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में संदेह हो। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, पुनरीक्षण प्राधिकरण को इस शक्ति को लागू करना उचित था। जाहिर है, आयुक्त ने किसी उद्देश्य से क्षेत्राधिकार हस्तांतरित किया था. यदि आयुक्त के आदेश के बावजूद, कोई अपीलीय प्राधिकारी किसी मामले का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ा था, तो कानूनी रूप से यह कहा जा सकता है कि कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना थी। इस मुद्दे की जांच के लिए प्राधिकरण फाइल मंगवा सकता था और मामले पर विचार कर सकता था। वर्तमान मामले में पुनरीक्षण प्राधिकरण ने ऐसा किया था। इसने याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए नोटिस दिया था

आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन क्यों न घोषित किया जाए? याचिकाकर्ता ने उस अवसर का लाभ उठाया था। इसके बाद, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने माना कि अपीलीय प्राधिकरण के लिए उस मामले में निर्णय लेने में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाने का कोई औचित्य नहीं था, जब उसे पता चला कि गुड़गांव जिले के अपील मामलों पर उसका अधिकार क्षेत्र ईटीसी द्वारा बदल दिया गया है। प्राधिकरण का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अधिनियम की धारा 40 के दायरे में था। प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ. नतीजतन, यह तर्क कि कार्रवाई अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, बरकरार नहीं रखी जा सकती।

(10) श्री साहनी ने आयुक्त बनाम कांडा राइस मिल्स (1) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकरण इस पर ठोस निष्कर्ष दर्ज किए बिना अधिनियम की धारा 40 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता था। मामले के तथ्य. कांडा राइस मिल्स के मामले में, निस्संदेह, बेंच ने देखा है कि आयुक्त को एक दृढ़ निर्णय पर आना पड़ा कि आईटीओ का आदेश गलत था। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस तथ्य का पुख्ता निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई थी और इस तथ्य के बावजूद एक आदेश पारित किया था कि उन्हें अधिकार क्षेत्र में बदलाव के बारे में सूचित किया गया था। यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना माना है। क्षेत्राधिकार का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है। यह ऑर्डर को नॉन-एस्ट प्रस्तुत करता है। यह कार्रवाई की वैधता को प्रभावित करता है. एक पुख्ता निष्कर्ष दर्ज किया गया है। उपरोक्त मामले में निर्धारित नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(11) श्री साहनी ने तर्क दिया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश में स्पष्ट त्रुटि थी क्योंकि इसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि अपील सुनवाई के लिए तय नहीं की गई थी, बल्कि केवल स्थगन मामले पर विचार किया जाना था।

(12) आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने पाया है कि "अपील का मामला 22 सितंबर, 1993 को सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था, मामले का फैसला बिना कोई दिए ही कर दिया गया था।"

विभाग को नोटिस" यह मानते हुए कि विद्वान वकील अपनी बात में सही है, फिर भी हम पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। अपीलीय प्राधिकार का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था। इस प्रकार, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। पहले प्रश्न पर हमारे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई त्रुटि मान भी ली जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसके अलावा, याचिका के पैराग्राफ 7 को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "अपील का मनोरंजन

10 जुलाई, 1993 को संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील) द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसके बाद उस आदेश के

खिलाफ दायर विभाग की समीक्षा याचिका को भी निरर्थक होने के कारण वापस लेना पड़ा। उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है कि "उक्त मामलासंयुक्त उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त, फरीदाबाद के पास लंबित था, क्योंकि विभाग ने उक्त आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की थी।" श्री साहनी का कहना है कि समीक्षा याचिका वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, न कि विभाग द्वारा। उनका कहना है कि रिट याचिका के पैराग्राफ 7 में दिए गए कथन में मुद्रण संबंधी त्रुटि है। इसे ऐसा मानते हुए भी तथ्य यह है कि इस भ्रम के आधार पर, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने सोचा होगा कि मुख्य अपील अभी तक सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, आदेश की वैधता प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि हम संतुष्ट हैं कि पुनरीक्षण प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आदेश को रद्द कर सकता था और वास्तव में किया भी था।

(13) श्री साहनी का तर्क है कि जब आदेश में एक आधार खराब होगा तो पूरा आदेश खराब हो जाएगा। उन्होंने एम.के ट्रेडिंग कंपनी बनाम पंजाब राज्य (2) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। बिना अधिकार क्षेत्र वाला आदेश बिना किसी और बात के निष्प्रभावी हो जाएगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के वकील क्षेत्राधिकार की निर्विवाद कमी के बावजूद आदेश की वैधता के संबंध में हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रखने वाला प्राधिकारी पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित ऑक्सलर पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना था। इस प्रकार, इसे पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।

(14) अंत में, यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 40 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर निर्णय ले सकता था। इसे इस मुद्दे को अनिर्णीत नहीं छोड़ना चाहिए था। इस विवाद का भी कोई मतलब नहीं है। हमने पहले ही पाया है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अनुरूप है। इस प्रकार, इस मुद्दे पर निर्णय लेने में ट्रिब्यूनल की चूक का कोई परिणाम नहीं है।

(15) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, इसे खारिज किया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

आर.एन.आर

(2) 34 S.T.C. 237.